

भारत के नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक

प्रलमिस के लयि:

नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के राष्ट्रपति, भारत की संचति नधि, अंतराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी.

मेंस के लयि:

भारत के नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक का महत्त्व, वत्तीय अखंडता और जवाबदेही।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

के. संजय मूरति को भारत का नया नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) नयुक्त कया गया है, वे गरिशि चंदर मुरमू की जगह लेंगे।

नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में मुख्य बडि क्या हैं?

- भारत के CAG के बारे में: संवधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत का CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा वभाग (IA-AD) का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक नधिकी सुरक्षा और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर वत्तीय प्रणाली की देखरेख के लयि ज़मिमेदार होता है।
 - CAG वत्तीय प्रशासन में संवधान और संसदीय कानूनों को कायम रखता है और इसे सर्वोच्च न्यायालय, नरिवाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के साथ भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रमुख स्तरों में से एक माना जाता है।
 - भारत का CAG नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधनियम, 1971 द्वारा शासति होता है, जसिमें वर्ष 1976, 1984 और 1987 में महत्त्वपूर्ण संशोधन कयि गए।
- नयुक्ति और कार्यकाल: भारत के CAG की नयुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहति एक अधिकार पत्र (Warrant) द्वारा की जाती है। CAG छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर कार्य करता है।
 - CAG संवधान की रक्षा करने तथा बना किसी भय या पक्षपात के नषिपक्षतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ ग्रहण करता है।
 - राष्ट्रपति द्वारा CAG को पद से केवल उसी रीति से और उन्ही आधारों पर हटाया जाएगा जसि रीति से और जनि आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।, तथा इसके लयि सिद्धि दुरव्यवहार या अक्षमता हेतु संसद के दोनों सदनों में वशिष बहुमत प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
 - CAG किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
- स्वतंत्रता: CAG को केवल संवधानिक प्रकरिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा (न की राष्ट्रपति के वविक अधिकार पर) हटाया जा सकता है।
 - पद छोड़ने के बाद CAG भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के लयि पात्र नहीं हैं।
 - CAG का वेतन संसद नरिधारति करती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होते हैं।
 - राष्ट्रपति, CAG के परामर्श से CAG के कर्मचारियों के लयि सेवा शर्तें और प्रशासनिक शक्तियाँ नरिधारति करता है।
 - CAG के प्रशासनिक व्यय, जनिमें वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचति नधि पर भारति होते हैं, जो संसदीय मतदान के अधीन नहीं होते हैं।
 - कोई भी मंत्री संसद में CAG का प्रतनिधित्व नहीं कर सकता या उसके कार्यों की ज़मिमेदारी नहीं ले सकता।
- कर्तव्य एवं शक्तियाँ: CAG भारत की संचति नधि और राज्य नधि से व्यय से संबंधति खातों का लेखा-परीक्षण करता है।
 - यह सरकारी नगिमें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा वतितपोषति नकियों के खातों का भी लेखा-परीक्षण करता है।
 - CAG करों और शुल्कों की शुद्ध आय पर प्रमाणपत्र प्रदान करता है, तथा ऋण, अग्रमि और सस्पेंस खातों से संबंधति लेनदेन का ऑडिट करता है।
 - CAG ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के समक्ष रखता है। इन रिपोर्टों की जाँच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है।
- भूमिका: CAG संसद के एजेंट के रूप में कार्य करता है जो यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक वत्ति का उपयोग कानूनी और

कुशलतापूर्वक किया जाए।

- यह समीक्षा करता है कि वित्तिरिति धनराशिकानूनी के अनुसार था और उसका सही ढंग से उपयोग किया गया था तथा व्यय शासकीय प्राधिकरण के अनुरूप है या नहीं।
 - CAG करदाताओं के धन की सुरक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है कि उसका व्यय कानून के अनुसार तथा लक्ष्यित उद्देश्यों के लिये किया जाए।
 - कानूनी और नियामक लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त, **CAG औचित्य संबंधी लेखापरीक्षा भी कर सकता है**, अर्थात् वह सरकारी व्यय की बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता और मतिव्ययिता का आकलन कर सकता है, साथ ही अपव्यय और फ़ज़ूलखर्चा पर टिप्पणी कर सकता है।
 - अनविरय कानूनी और वनियामक ऑडिट के विपरीत, स्वामित्व संबंधी ऑडिट वैकल्पिक हैं।
- भारत में CAG का धन जारी करने पर नियंत्रण नहीं है तथा वह केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, जबकि ब्रिटन में CAG नियंत्रक के रूप में भी कार्य करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा:
 - IAEA (2022-2027): CAG **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी** का बाह्य लेखा परीक्षक है, जो परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देता है।
 - FAO (2020-2025): CAG वैश्विक खाद्य सुरक्षा की दृष्टि में काम करने वाले **खाद्य और कृषि संगठन** का ऑडिट करता है।

भारत के CAG के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

प्रावधान	विवरण
अनुच्छेद 148	यह वधियक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है।
अनुच्छेद 149	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों एवं शक्तियों को नरिदष्टि करता है।
अनुच्छेद 150	इसमें कहा गया है कि संघ और राज्यों के खातों को CAG की सलाह पर राष्ट्रपतिद्वारा नरिधारित प्रारूप में रखा जाना चाहिये।
अनुच्छेद 151	संघीय लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रपिर्त राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी तथा संसद के समक्ष रखी जाएगी; राज्य की रपिर्त राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी तथा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।
अनुच्छेद 279	इसमें प्रावधान है कि CAG "शुद्ध आगम" की गणना को प्रमाणित करता है और उसका प्रमाणपत्र अंतिम होता है।
तीसरी अनुसूची	धारा IV में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और CAG द्वारा पद ग्रहण करने पर ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान है।
छठी अनुसूची	यह नरिदष्टि करता है कि जिला या क्षेत्रीय परिषदों के खातों को CAG द्वारा नरिधारित प्रारूप में रखा जाना चाहिये और तदनुसार उनका ऑडिट किया जाना चाहिये। परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये रपिर्त राज्यपाल को प्रस्तुत की जानी चाहिये।

CAG लोकतंत्र को कैसे मज़बूत करता है?

- जवाबदेही सुनिश्चित करना: **भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे** के प्रमुख सिद्धांत जवाबदेही, नागरिक सहभागिता और **विकेंद्रीकरण** हैं। जैसे-जैसे शासन अधिक जटिल होता जाता है, इन सिद्धांतों को मज़बूत तंत्रों के माध्यम से बनाए रखा जाना चाहिये।
 - भारत का CAG सार्वजनिक धन के उपयोग में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है, **करदाताओं के धन के दुरुपयोग को रोकता है** और **नागरिकों के सर्वोत्तम हितों में शासन को बढ़ावा देता है**, जो लोकतंत्र में आवश्यक है।
- स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाना: CAG क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन के माध्यम से **पंचायती राज संस्थाओं (PRI)** और **शहरी स्थानीय निकायों** को सहायता प्रदान करता है।
 - वार्षिक तकनीकी नरीक्षण रपिर्त (ATIR) के माध्यम से, यह सेवा वितरण में स्थानीय सरकार के प्रदर्शन का आकलन करता है। कुशल लेखाकारों की कमी को दूर करने के लिये, CAG, **भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI)** के सहयोग से ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
- शक्तियों के पृथक्करण की सुरक्षा: लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका की वित्तीय गतिविधियाँ वधायी मंशा के अनुरूप हों, तथा **शक्ति संतुलन** बना रहे।
- नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण: नागरिकों को लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के केंद्र में रखकर, CAG यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे।
 - नागरिक फीडबैक से CAG को उच्च ज़ोरमि वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है, जहाँ कुप्रबंधन हो सकता है, जिससे लेखापरीक्षा का फोकस और प्रभावशीलता में सुधार होता है।

CAG ने कौन से बड़े घोटाले उजागर किये हैं?

- भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कई हाई-प्रोफाइल मामलों को उजागर करने में CAG की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
 - 2G स्पेक्टरम आवंटन घोटाला:** CAG ने 1.76 लाख करोड़ रुपये के नुकसान को उजागर किया।
 - भारत के CAG की एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत सरकार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष नीलामी को दरकिनार करते हुए **2G स्पेक्टरम लाइसेंसों** को काफी कम कीमत पर आवंटित किया।
 - कोयला खदान आवंटन घोटाला:** CAG ने 1.85 लाख करोड़ रुपये के गलत लाभ का अनुमान लगाया।
 - कोयला घोटाला, जिसे कोलगेट के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक कोयला ब्लॉकों के अनियमित और संभावित रूप से अवैध आवंटन से संबंधित है, जिसमें सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार होने के बावजूद प्रतस्पर्धी बोली को दरकिनार कर दिया गया।
 - चारा घोटाला:** CAG ने 940 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से निकासी का खुलासा किया।
 - चारा घोटाला, वर्ष 1985 से वर्ष 1995 के बीच बहिर के पशुपालन विभाग में हुई वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा था।

भारत में CAG की कार्यप्रणाली के संबंध में क्या आलोचनाएँ हैं?

- संसद में प्रस्तुत रिपोर्टों की संख्या में कमी:** संसद में CAG द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्टों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2015 में 53 से घटकर वर्ष 2023 में मात्र 18 रह गई है, जिससे **सरकारी व्यय में नगिरानी और पारदर्शिता में कमी की चिंता** उत्पन्न होती है, जिससे वित्तीय अनियमितताओं की पहचान में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
 - इसके अतिरिक्त, CAG कई फर्मों और सरकारी निकायों का प्रत्यक्ष रूप से ऑडिट करता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष केवल कुछ का ही मूल्यांकन करता है, जिससे कई ऑडिट लंबित रह जाते हैं।
- कार्योत्तर लेखापरीक्षा:** CAG का लेखापरीक्षा कार्य काफी हद तक कार्योत्तर होता है, जिसका अर्थ है कि लेखापरीक्षा सरकारी व्यय किये जाने के बाद होती है, **न कनिष्ठ लेने की प्रक्रिया में शामिल होने के बाद।**
 - इससे वित्तीय कुप्रबंधन या अनियमितताओं को घटित होने से पहले रोकने की CAG की क्षमता सीमित होती है।
 - CAG द्वारा वित्तीय लेन-देन का परीक्षण तो किया जाता है लेकिन **सक्रिय वित्तीय नगिरानी** में इसका योगदान सीमित होता है।
- CAG के कार्य का सीमा महत्व:** लेखा परीक्षा **प्रशासन पर नहीं बल्कि लेखापरीक्षा** पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे उनका कार्य आवश्यक तो होता है लेकिन **परिप्रेक्ष्य और उपयोगिता में सीमित होता है। इसके अतिरिक्त** बजट जारी करने से पहले **पूर्व-लेखापरीक्षा** में CAG की कोई भूमिका नहीं होती है।
- अपर्याप्त आर्थिक विशेषज्ञता:** आलोचकों का तर्क है कि CAG के पास पर्याप्त आर्थिक विशेषज्ञता का अभाव (विशेषकर प्राकृतिक संसाधनों जैसे जटिल क्षेत्रों का लेखा-परीक्षण करते समय) रहता है।
 - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (IA&AD) में कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी (जो वर्ष 2013-14 के 48,253 से घटकर वर्ष 2021-22 में 41,675 हो गई है) आई है। यह कमी **CAG की ऑडिट करने की क्षमता** को प्रभावित कर सकती है, जिससे परीक्षण प्रणाली सीमा होने के साथ इसकी पारदर्शिता और जवाबदेहिता में बाधा आ सकती है।
- रिपोर्टिंग में देरी:** CAG को दस्तावेज प्रस्तुत करने और संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अक्सर देरी होती है, जिससे समय पर जवाबदेही तय करने में बाधा उत्पन्न होती है।

CAG में कौन से सुधार आवश्यक हैं?

- CAG अधिनियम में संशोधन:** आधुनिक शासन आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के साथ जवाबदेहिता में सुधार हेतु वर्ष 1971 के CAG अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये।
- चयन प्रक्रिया:** CAG की नियुक्तियों के लिये राष्ट्रपति, **भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री** को शामिल करते हुए एक **कॉलेजियम** का गठन होना चाहिये।
 - यह दृष्टिकोण अधिक निष्पक्ष एवं वैध चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- नई चुनौतियों हेतु अनुकूलन:** CAG को **जलवायु परिवर्तन एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों** जैसे नए क्षेत्रों की लेखापरीक्षा के क्रम में अनुकूलन करने की आवश्यकता है। इन **उभरते क्षेत्रों** में व्यापक नगिरानी तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिये यह अनुकूलन महत्वपूर्ण है।
- क्षमता निर्माण:** लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार (विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों, प्रौद्योगिकी और जटिल आर्थिक क्षेत्रों जैसे वित्तीय क्षेत्रों में) हेतु CAG कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ इनकी क्षमता में वृद्धि करना चाहिये।
- फीडबैक तंत्र:** विभिन्न संस्थाओं की चिंताओं के साथ सुझावों पर ध्यान रखने हेतु मज़बूत फीडबैक तंत्र स्थापित करना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखापरीक्षा रचनात्मक एवं सुधारात्मक हो।

निष्कर्ष

CAG वित्तीय औचित्य का प्रहरी एवं लोकतांत्रिक जवाबदेहिता का संरक्षक है। हालाँकि इसने शासन को मज़बूत करने एवं भ्रष्टाचार को सामने लाने में काफी प्रगति की है लेकिन **तीव्रता से विकसित हो रहे आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता** सुनिश्चित करने हेतु और भी सुधारों की गुंजाइश है। अपने अधिदेश को मज़बूत कर और अपने कार्यों को आधुनिक बनाकर, CAG भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

?????? ???? ???? ???? ??:

प्रश्न: सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही की सुरक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण कीजिये। संवैधानिक प्रावधान CAG को किस प्रकार सशक्त बनाते हैं?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

???????

प्र. लोक नधिकाे फलोत्पादक और आशायति प्रयोग को सुरक्षति करने के साथ-साथ भारत में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व क्या है? (2012)

- 1- CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात/वित्तीय आपात घोषित करता है।
- 2- मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर CAG द्वारा जारी किये गए प्रतविदनों पर लेखा समिति विचार-वमिश्र करती है।
- 3- CAG के प्रतविदनों से माली जानकारी के आधार पर जाँचकर्त्ता एजेंसियाँ उन लोगों के वरिद्ध आरोप दाखल कर सकती हैं जिन्होंने लोक नधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो।
- 4- CAG को ऐसी मशिरति न्यायकि शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा-परीक्षा और लेखा जाँच करते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1, 3 और 4
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: c

??????:

प्रश्न. “नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है।” समझाएँ कि यह उसकी नियुक्ति की पद्धति और शर्तों के साथ-साथ उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा में कैसे परिलक्षित होती है? (2018)

प्रश्न. संघ एवं राज्यों की लेखाओं के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संवधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिये कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या नहीं।

(2016)